टी.टी. हनीफा

बनाम

केरल राज्य

21 अप्रैल, 2004

[के.जी.बालाकृष्णन और बी.एन.श्रीकृष्णा, जे.जे.]

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 :

धाराएँ 21 और 50 — अभियुक्त धारा 50 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया — धारा 50 के उल्लंघन के लिए न्यायालय के समक्ष तर्क - अभियुक्त द्वारा ब्राउन शुगर बेचने का पुलिस को संदेह — उसकी व्यक्तिगत तलाशी पर उसके कब्जे से 3.70 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद — अभियोजन - अभियुक्त को दोषी पाया गया दोषसिद्ध किया गया — उसका धारा 50 के उल्लंघन का तर्क अस्वीकृत — अभिनिर्धारित, अभियुक्त के पास मादक पदार्थ था और साक्ष्य ने साबित किया कि अपराध किया गया था - अभियुक्त को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उसने अधिकार का प्रयोग नहीं किया - कोई प्रक्रियात्मक अवैधता नहीं थी - यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 50 का कोई उल्लंघन हुआ है।

बेकोडन अब्दुल रहिमान बनाम केरल राज्य, [2002] 4 एससीसी 229, विशिष्ट।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 1336/2002 आपराधिक अपील संख्या 231/1998 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 7.6.2001 से।

टी.एन. सिंह, श्याम नारायण सिंह, सुश्री आशा गोपालन नायर, श्रीमती बी. सुनीता राव, शकील अहमद सैयद, अपीलार्थी की ओर से।

के.आर. शशिप्रभु, रमेश बाबू एम.आर., सुश्री सुषमा सूरी, सुब्रमण्यम प्रसाद और सुश्री विभा दत्ता मखीजा, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अपीलार्थी को विशेष न्यायाधीश, वडकारा द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया और उसे 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, व्यतिक्रम में, एक साल के लिए कठोर कारावास। उसने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी और इस अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उसी से व्यथित होकर वर्तमान अपील है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 24.1.1997 को पी.डब्ल्यू 1, जो सर्कल पुलिस निरीक्षक, नादक्कावु है, ने अपीलार्थी को बीच अस्पताल के पश्चिमी हिस्से में एक सार्वजनिक सड़क पर पाया। पीडब्लू-1 सर्कल इंस्पेक्टर को बीच रोड पर कुछ लोगों द्वारा ब्राउन शुगर की बिक्री के बारे में

पहले से जानकारी थी और उसने बयान दर्ज किये और उस स्थान पर गया जनः पीडब्ल्यू 2 और 3 भी पीसब्ल्यु-1 के साथ उपस्थित हुए। जब यह प्लिस दल वहाँ गया, तो अपीलार्थी पैदल रास्ते पर खड़ा था और पीडब्लू-1 ने उससे पूछताछ की और बताया कि उसे संदेह है कि अपीलार्थी कोई मादक पदार्थ ले जा रहा था। पीडब्लू-1 ने अपीलार्थी को बताया कि जब उसके शरीर की तलाशी ली जा रही है तो उसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति की मांग करने का अधिकार है। अपीलार्थी ने उत्तर दिया कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। पीडब्लू-1 ने उस बयान को प्रदर्श पी-1 जब्ती महज़र में दर्ज किया और दो गवाहों की उपस्थिति में अपीलार्थी की तलाशी ली गई और 3.700 ग्राम ब्राउन शुगर अपीलार्थी की बाईं शर्ट की बाजू से बरामद की गई। जब्त वस्तु से लिया गया नमूना रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया और यह ब्राउन शुगर होना साबित हुआ था।

अपीलार्थी ने विशेष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन किया गया था। इस तर्क को खारिज कर दिया गया और तदनुसार अपीलार्थी को आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत, अभियुक्त को बताया जाना चाहिए था कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थित में तलाशी लेने का अधिकार मिला है और यह विकल्प अपीलार्थी को नहीं दिया गया था और यह तर्क दिया गया था कि तत्काल मामले में, अपीलार्थी से केवल यह पूछा गया था कि क्या वह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति चाहता है और इस तरह से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन हुआ था। हम अपीलार्थी द्वारा उठाये गए इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। प्रदर्श पी.1 महज़र से पता चलता है कि तलाशी से पहले अपीलार्थी से पूछा गया था कि क्या वह किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति चाहता है, उसने इस विशेषाधिकार का लाभ उठाने से इनकार कर दिया और उसके बाद तलाशी ली गई और उसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किया गया।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का सरल अध्ययन यह नहीं दर्शाता है कि अभियुक्त को या तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को चुनने के विकल्प का अधिकार है, बल्कि विकल्प उस अधिकारी के लिए है जो तलाशी का संचालन करता है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे

व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा"।

यदि अभियुक्त कहता है कि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थित में तलाशी ली जाएगी. अधिकारी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपलब्धता के आधार पर उनमें से किसी एक का चयन कर सकता है। इस मामले में अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था. उसने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बेकोडन अब्दुल रहिमान बनाम केरल राज्य, [2002] 4 एससीसी 229, में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एनडीपीएस अधिनियम के अन्च्छेद 50 का उल्लंघन किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि तलाशी अधिकारी द्वारा आरोपी को दी गई प्रकृति या विकल्प और तथ्यों से पता चलता है कि उस मामले में तलाशी अधिकारी द्वारा जांच की गई थी कि क्या आरोपी किसी उच्च अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी से मिलना चाहता है और आरोपी ने नकारात्मक जवाब दिया। तलाशी अधिकारी द्वारा उपयोग किए गए ये शब्द निश्चित रूप से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में नहीं थे। यह उस पृष्ठभूमि में था कि इस न्यायालय ने इस आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन किया गया था। तत्काल मामले में, हमें नहीं लगता कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का कोई उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आरोपी को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार दिया गया था क्योंकि वह ऐसा करने का विकल्प चुनने में विफल रहा जो हमें नहीं लगता कि कोई प्रक्रियात्मक अवैधता थी।

अपीलार्थी के कब्जे मैं मादक पदार्थ था और अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य से साबित किया कि अपराध किया गया था। अपील में कोई योग्यता नहीं है और अपील को तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपीलार्थी को इस न्यायालय द्वारा 13-10-2003 को जमानत दी गई थी। अपीलार्थी दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपने जमानत बांड में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर विशेष न्यायाधीश अपीलार्थी को सजा के शेष भाग से गुजरने के लिए गिरफ्तार करने के लिए उचित कदम उठाएगा। आर.पी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।
